प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 29/01/2024 को मैसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 61 लाख रुपए की सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा माननीय विशेष मोबाइल न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, संगारेड्डी, तेलंगाना की अदालत में दायर शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। उक्त शिकायत के अनुसार, मैसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भैंस के फ्रोज़न मांस के प्रसंस्करण का कार्य करता था। आरोपी कंपनी ने टीएसपीसीबी से अनुमति ली कि परिसर में पशु वध के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट को टीएसपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उचित रूप से वर्गीकृत और निपटान किया जाएगा। हालाँकि, कंपनी ने भैंस के फ्रोज़न मांस के प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए टीएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया और जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धाराओं के तहत अपराध किया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि मैसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने परिसर में उत्पन्न खतरनाक ठोस मांस अपशिष्ट के निपटान की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया। इसके बजाय, कंपनी ने खुले क्षेत्र में खतरनाक कचरे का निपटान किया जिसके परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में सतह और भूजल प्रदूषित हो गया। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह भी पता चला कि उक्त अनुसूचित अपराध को अंजाम देकर कंपनी ने 61 लाख रुपए की अपराध की आय अर्जित की, जिसे उपरोक्त अनुसार अनंतिम रूप से जब्त किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****